समाहरणालय, बेगूसराय
(जिला पंचायत कार्यालय)

विज्ञापन संख्या–.01/18–19

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधान के आलोक में समाहरणालय बेगूसराय के सेवानिवृत पंचायत सचिव को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक सेवानिवृत पंचायत सचिव संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 22/10/18 तक कार्यालय अवधि में जिला पदाधिकारी बेगूसराय के पदनाम से सीधे प्राप्त करा सकते हैं। निबंधित डाक से भी उक्त अवधि के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा, समय सीमा के बाद निबंधित डाक से या अन्य विधि से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। संविदा पर चयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा–

1– चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।

2– चयन प्रथमतः दों वर्षो, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिये होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिये उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

3– संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परंतु पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।

4– सेवानिवृति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

5– नियोजित कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और संतोषजनक कार्य नहीं होने पर उन्हें कभी भी हटाया जा सकेगा।

6– जिन रिक्तियों के विरुद्ध संविदा के आधार पर चयन किया जा रहा है उनपर नियमित नियुक्ति होने के बाद उनकी सेवा स्वतः समाप्त समक्षी जायेगी।

7– नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

8– इच्छुक सेवानिवृत कर्मी इस आशय का शपथपत्र भी संलग्न करेंगें कि उनके विरुद्ध कोई आरोप/विभागीय कार्यवाई/निगरानी मामला/आपराधिक मामला नहीं चल रहा है।

9– निम्नांकित सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर सेवायें नहीं ली जा सकेगी–

क–जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

ख– जिन पर कोई विभागीय कार्यवाई चल रही हो।

ग–जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

घ– जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

27/9/18

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय

ज्ञापांक–......974....../पंचायत, दिनांक–...03/10/18...

प्रतिलिपि– जिला स्थापना उप समाहर्त्ता बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस विज्ञापन का दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना सुनिश्चत करें।

प्रतिलिपि–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (एन0 आई0 सी0) बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जात है कि इस विज्ञापन का एन0 आई0 सी0 बेगूसराय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चत करें।

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन
विहित प्रपत्र

सेवा में ,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

विषय— संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।

आवेदक का फोटो

1. नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. स्थायी पता—
4. पत्राचार का पता—
5. जन्म तिथि—
6. शैक्षणिक योग्यता—
7. सरकारी सेवा में प्रथम योगदान की तिथि—
8. सेवानिवृति की तिथि—
9. सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन एवं मंहगाई भत्ता—
10. सरकारी सेवाकाल में यदि विभागीय कार्यवाही/ निगरानी का मामला /आपराधिक मामला चला है तो उसका विवरण—

आवेदक का हस्ताक्षर